आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना (बजट घोषणा संख्या 55 वर्ष 2022–23)

<table>
<tr><td>1.</td><td>योजना का नाम</td><td>आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>योजना का विवरण</td><td>राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित राजकीय विधालय में अध्ययनरत विधार्थीयों को जिन्होने उक्त वर्ग के विधार्थियों में से कक्षा 10 एंव कक्षा 12 संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान, की परीक्षा में EWS श्रेणी के सर्वोच्च अंक प्राप्त किये है, को रूपये 50,000/– विद्यार्थी के जनाधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से देय होगा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना की जानकारी का लिंक</td><td>https://rajshaladarpan.nic.in/SD1/BSP/Home/check_eligibility.aspx</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>योजना की श्रेणी</td><td>वित्तीय लाभ</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>योजनान्तर्गत देय लाभ एवं लाभान्वितों की संख्या</td><td>योजनान्तर्गत कुल 32 विद्यार्थियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जावेगाः–
<table>
<tr><td colspan="10">लाभार्थीयों की कक्षावार संख्या</td><td colspan="2" rowspan="3">सर्व योग (32)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">कक्षा 10</td><td colspan="8">कक्षा 12</td></tr>
<tr><td colspan="2">कला</td><td colspan="2">विज्ञान</td><td colspan="2">वाणिज्य</td><td colspan="2">योग</td></tr>
<tr><td>छात्र</td><td>छात्रा</td><td>छात्र</td><td>छात्रा</td><td>छात्र</td><td>छात्रा</td><td>छात्र</td><td>छात्रा</td><td>छात्र</td><td>छात्रा</td><td>छात्र</td><td>छात्रा</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>06</td><td>06</td><td>16</td><td>16</td></tr>
</table>
एक मुश्त रु 50,000/– एवं प्रशस्ति पत्र।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पात्रता</td><td>राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 संकाय कला,वाणिज्य, विज्ञान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं।
राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी भी प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी भी योजनान्तर्गत लाभ के पात्र होंगे।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>आवेदन की प्रक्रिया</td><td>शाला दर्पण के बेनिफिशिअरी मॉड्युल पर विद्यालय लॉगिन से ऑनलाईन आवेदन।
कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थी के आवेदन उस विद्यालय से होगें जहां से विद्यार्थी ने कक्षा 12 उत्तीर्ण की है।
कक्षा 10 उत्तीर्ण विद्यार्थी के आवेदन उस विद्यालय से होगें जहां पर विद्यार्थी कक्षा 11 में अध्यनरत है।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक</td><td>https://rajshaladarpan.nic.in/SD1/BSP/Home/login.aspx</td></tr>
<tr><td>9..</td><td>आवश्यक दस्तावेज</td><td>1. आधार/जनाधार कॉर्ड।
2. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण–पत्र।(अपलोड किया जाना अनिवार्य)</td></tr>
</table>

		3. अंक तालिका। **नोटः– आवेदन में आधार नम्बर की प्रविष्टि एवं जनाधार का सत्यापन अनिवार्य है।**
10.	नोडल अधिकारी की जानकारी	पदनाम– निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ई–मेल आई.डी.– deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in
11.	आवेदन की प्रक्रिया	➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है। ➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाई ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के समस्त एस.सी. एवं ओ.बी.सी. वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा। ➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी। ➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें। ➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है – 1. विद्यार्थी का पता 2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या 3. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय 4. गत वर्ष की परीक्षा के पूर्णांक एवं विद्यार्थी के प्राप्तांक (कक्षा 7, 8 एवं 10 हेतु)। 5. गत वर्ष की परीक्षा में विज्ञानं, अंग्रेजी एवं गणित के पूर्णांक एवं विद्यार्थी के प्राप्तांक (कक्षा 7, 8 एवं 10 हेतु)। 6. कक्षा 6 एवं 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु अंकों के प्रविष्टि न की जाकर केवल गत वर्ष की बोर्ड परीक्षा के अनुक्रमांक एवं जिले की प्रविष्टि की जानी है। 7. मिरासी भिश्ती समूह के 9 उप समूह में से विद्यार्थी के उप समूह का चयन। 8. विद्यार्थी के अनाथ होने संबंधी प्रविष्टि में **हां अथवा नहीं** का विकल्प। ➢ बैंक इनफार्मेशन हेतु प्रस्तुत दो विकल्प में से एक विकल्प का चयन करें। ➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्च्यात अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें। ➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें। ➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे। अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।